प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'सत्तावन'

प्रश्न सं. [क्र. 1171]

[26/7/2016]

प्रश्न. क्र. - 1171

परिशिष्ट—अ

म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाईजका रजिस्ट्रीकरण, निबंधन तथा शर्तें) नियम 1998 के नियम 15—क (1) के खंड (पांच) के तहत दो अनाधिकृत कॉलोनियों का चयन कर नियमितीकरण बावत् कॉलोनी के रहवासियों के साथ बैठक कर चर्चा की गई। रहवासियों को उनके अधिभोग के भवन/भूखंड के क्षेत्र के अनुपात में रूपये 150/-- प्रति वर्गमीटर की दर से विकास शुल्क जमा करने की जानकारी दी गई। साथ ही यह भी जानकारी दी गई कि विकास शुल्क का सिर्फ 50 प्रतिशत ही उनके द्वारा जमा किया जाना है। शेष 50 प्रतिशत राशि में से 20 प्रतिशत राशि नगर निगम अंशदान के रूप में देगा एवं 30 प्रतिशत राशि राज्य सरकार से अनुदान के रूप में प्राप्त होगी, परंतु रहवासी विकास शुल्क जमा करने हेतु सहमत नहीं हैं। उनका सुझाव है कि नगर निगम बिना कोई विकास शुल्क जमा कराये नियमितीकरण की कार्यवाही करे। उपरोक्त वजह से नियमितीकरण हेतु आगे कार्यवाही संभव नहीं हो पा रही है। कामोवेश यही स्थिति अन्य अनाधिकृत कॉलोनियों की भी है। कॉलोनियों के रहवासी चर्चा करने पर विकास शुल्क जमा करने बावत् रजामंद नहीं हैं।

प्रारंभिक तौर पर जिन दो अनाधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, उनकी जानकारी निम्नानुसार है :—

1. श्रीमती आयशा बेगम द्वारा आराजी क्रमांक 371 मौजा सतना में निर्मित अनाधिकृत कॉलोनी कुल रकवा 3 एकड़ (निर्माण वर्ष 2001)
2. श्रीमती मान कुमारी सिंह द्वारा आराजी क्रमांक 222/1, 222/2 मौजा बरदाडीह में निर्मित अनाधिकृत कॉलोनी कुल रकवा 1.02 एकड़ (निर्माण वर्ष 2001)

उपयंत्री
नगर पालिक निगम
सतना (म.प्र.)

Assistant Engineer
Urban Administration and Development
M.P Bhopal

सहायक यंत्री,
नगर पालिक निगम
सतना (म.प्र.)

Assistant Engineer
Urban Administration and Development
M.P Bhopal

कार्यपालन यंत्री
नगर पालिक निगम
सतना (म.प्र.)